PAPER NAME

pradeep kumar new.pdf

WORD COUNT

4360 Words

CHARACTER COUNT

16867 Characters

PAGE COUNT

12 Pages

FILE SIZE

739.6KB

SUBMISSION DATE

Jul 15, 2026 3:05 PM GMT+5:30

REPORT DATE

Jul 15, 2026 3:06 PM GMT+5:30

1% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 1% Internet database
- 0% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less then 14 words)

वंचित वर्गों की शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 की भूमिका

प्रदीप कुमार जायसवाल
शोधार्थी, रामनगर पी. जी. कॉलेज, रामनगर, बाराबंकी उ.प्र.

शोध निर्देशक
डॉ. अखिलेश पटेल
एसोसिएट प्रोफेसर, अध्यापक शिक्षा विभाग,
रामनगर पी. जी. कॉलेज, रामनगर, बाराबंकी उ.प्र.
ई.मेल– professorakhilesh@gmail.com

सारांश

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में शिक्षा सामाजिक न्याय, समानता एवं समावेशन का प्रमुख साधन है। ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चे शिक्षा से वंचित रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 इन वंचित वर्गों को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं समान शिक्षा प्रदान करने हेतु एक दूरदर्शी रूपरेखा प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 किस प्रकार वंचित वर्गों की शिक्षा में अवसर, पहुँच, गुणवत्ता एवं समानता को सुदृढ़ करने का प्रयास करती है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नीति में समावेशी शिक्षा, बहुभाषिकता, डिजिटल समावेशन, छात्रवृत्तियाँ, विशेष शिक्षा क्षेत्र तथा लचीलापन जैसे प्रावधान वंचित वर्गों के शैक्षिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

मुख्य शब्द : वंचित वर्ग, समावेशी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, समानता, सामाजिक न्याय।

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की आधारशिला मानी जाती है। यह न केवल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का माध्यम है बल्कि सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक चेतना एवं राष्ट्रीय प्रगति का भी महत्वपूर्ण उपकरण है। भारतीय संविधान ने शिक्षा को समान अवसर उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम स्वीकार करते हुए सामाजिक न्याय, समानता एवं बंधुत्व की भावना को सुदृढ़ करने पर बल दिया है। इसके बावजूद, व्यवहारिक स्तर पर यह देखा गया है कि समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच प्राप्त नहीं हो सकी है। भारतीय समाज में ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से कुछ वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर वंचित रहे हैं। गरीबी, जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, क्षेत्रीय पिछड़ापन, भौगोलिक दुर्गमता, दिव्यांगता तथा हाल के वर्षों में उभरा डिजिटल विभाजन जैसे अनेक कारकों ने इन वंचित वर्गों को मुख्यधारा की शिक्षा से दूर रखा है। परिणामस्वरूप, विद्यालय छोड़ने की दर अधिक रही है तथा उच्च शिक्षा में इन वर्गों की भागीदारी सीमित बनी हुई है। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत विकास में बाधक है, बल्कि सामाजिक असमानता को भी और गहरा करती है।

इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP–2020) को एक दूरदर्शी एवं सुधारात्मक नीति के रूप में देखा जा सकता है। यह नीति शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन तक सीमित न रखकर उसे समावेशी, न्यायसंगत एवं आजीवन अधिगम की प्रक्रिया के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती है। NEP–2020 का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान अवसर तथा अनुकूल अधिगम परिवेश प्राप्त हो सके। नीति में समावेशी शिक्षा, बहुभाषिकता, डिजिटल समावेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, छात्रवृत्ति योजनाएँ तथा विशेष सहायता तंत्र जैसे प्रावधानों के माध्यम से वंचित वर्गों के शैक्षिक सशक्तीकरण पर विशेष बल दिया गया है। इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 वंचित वर्गों की शिक्षा में संरचनात्मक सुधार लाने तथा उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरकर सामने आती है।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को वंचित वर्गों की शिक्षा के संदर्भ में एक आधारभूत एवं मार्गदर्शक दस्तावेज माना जाता है। नीति ने पहली

बार समान एवं समावेशी शिक्षा को एक स्वतंत्र एवं केन्द्रीय अध्याय के रूप में स्थान देते हुए Socially and Economically Disadvantaged Groups (SEDGs) की अवधारणा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग विद्यार्थी तथा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को सम्मिलित किया गया है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा जरी SEDG Cell Guidelines (2025) राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के समावेशन संबंधी लक्ष्यों को उच्च शिक्षा के स्तर पर संस्थागत रूप प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आती हैं। इन दिशानिर्देशों में उच्च शिक्षा संस्थानों में SEDG सेल की स्थापना पर बल दिया गया है, ताकि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों के विद्यार्थियों के लिए संरचित सहायता तंत्र विकसित किया जा सके। SEDG सेल की भूमिका में वंचित विद्यार्थियों हेतु अकादमिक मेंटरिंग, परामर्श सेवाएँ, वित्तीय एवं प्रशासनिक सहायता का समन्वय, तथा समता–आधारित पहलों का क्रियान्वयन सम्मिलित है।

तिलक (2015) ने "हाऊ इंक्लूसिव इज हायर एजुकेशन इन इंडिया" में भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में समावेशन एवं असमानता के प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन में विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उच्च शिक्षा में भागीदारी का तुलनात्मक परीक्षण किया गया है। निष्कर्ष के अनुसार उच्च शिक्षा में नामांकन के अवसरों में वृद्धि के बावजूद समूह–आधारित असमानताएँ अभी भी बनी हुई हैं। केवल संस्थानों की संख्या बढ़ाना या प्रवेश अवसर प्रदान करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वंचित वर्गों के लिए वित्तीय सहायता, अकादमिक समर्थन एवं संस्थागत संवेदनशीलता भी आवश्यक है।

नमबिस्सन (2023) ने आदिवासी एवं अन्य वंचित समुदायों की शिक्षा में भाषा, संस्कृति एवं सामाजिक पहचान की भूमिका को रेखांकित किया है। इन अध्ययनों में यह दर्शाया गया है कि जब विद्यालयी शिक्षा बच्चों की मातृभाषा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं जीवनानुभवों से कट जाती है, तो वंचित समुदायों के बच्चों में दूरता एवं असफलता की संभावना बढ़ जाती है।

रंगराजन एवं अन्य (2025) ने NEP–2020 के समावेशन एवं समानता एजेंडा का आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण किया। इस अध्ययन में नीति के उद्देश्यों और उसके संस्थागत एवं क्रियान्वयन स्तर के बीच के अंतर को रेखांकित किया गया है। शोधार्थी यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि नीति में समावेशन की स्पष्ट प्रतिबद्धता के बावजूद, उसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक क्षमता, संसाधन उपलब्धता एवं निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

वंचित वर्गों की अवधारणा

वंचित वर्गों से आशय समाज के उन समूहों से है, जो ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अथवा शैक्षिक कारणों से विकास की मुख्यधारा से पीछे रह गए हैं तथा जिन्हें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो सके हैं। ऐसे वर्गों की पहचान केवल आर्थिक निर्धनता के आधार पर नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक भेदभाव, जातिगत असमानता, लैंगिक पक्षपात, भौगोलिक दुर्गमता, शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता तथा शैक्षिक संसाधनों की अनुपलब्धता जैसे बहुआयामी कारक भी इन्हें वंचित बनाते हैं। शैक्षिक संदर्भ में वंचित वर्ग वे समूह होते हैं जिनकी विद्यालयों तक पहुँच सीमित होती है, जिनमें विद्यालय छोड़ने की दर अधिक पाई जाती है तथा जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत से कम रहती है। इन वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक, आधारभूत सुविधाएँ तथा अनुकूल अधिगम वातावरण का अभाव झेलना पड़ता है। परिणामस्वरूप, इनकी शैक्षिक प्रगति धीमी रहती है और सामाजिक असमानता का चक्र बना रहता है।

भारतीय संविधान सामाजिक न्याय, समानता एवं समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 15(4), 15(5) एवं 46 सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति (Scheduled Castes) एवं अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) के शैक्षिक उत्थान हेतु विशेष प्रावधानों का समर्थन करते हैं। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संदर्भ में वंचित वर्गों में प्रमुखतः अनुसूचित जाति (Scheduled Castes), अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes), अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward

Classes), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections), अल्पसंख्यक समुदाय, दिव्यांग विद्यार्थी (Children with Special Needs–CWSN), ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चे तथा विद्यालय से बाहर (Dropout) रहने वाले बच्चे सम्मिलित हैं। ये वर्ग सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं शैक्षिक असमानताओं के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए संविधान सभी वंचित वर्गों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान कर समावेशी एवं न्यायपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की स्थापना पर बल देता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एक परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 भारत की तीसरी व्यापक शिक्षा नीति है, जिसे वर्ष 1986 की शिक्षा नीति (1992 में संशोधित) के लगभग 34 वर्षों के पश्चात लागू किया गया। यह नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय शिक्षा प्रणाली में संरचनात्मक, पाठ्यक्रमीय एवं प्रशासनिक सुधार लाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। नीति का केंद्रीय उद्देश्य शिक्षा को अधिक लचीला, समावेशी, बहु–विषयक, कौशल–आधारित तथा शिक्षार्थी–केंद्रित बनाना है। NEP–2002 शिक्षा को केवल औपचारिक ज्ञान तक सीमित न रखकर उसे आजीवन अधिगम की सतत प्रक्रिया के रूप में देखती है। यह नीति प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एक एकीकृत एवं समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में 5+3+3+4 की नई संरचना को अपनाकर बालकों के संज्ञानात्मक एवं मनोवैज्ञानिक विकास के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का मूल दर्शन समानता, गुणवत्ता, पहुँच और वहनीयता पर आधारित है। नीति "सबका साथ, सबका विकास" की भावना को आत्मसात करते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित एवं हाशिए पर स्थित समूहों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों। इसके अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) की पहचान कर उनके लिए विशेष रणनीतियाँ एवं हस्तक्षेप प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नीति में बहुभाषिकता, मातृभाषा में शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग, व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा का समावेश, शिक्षक शिक्षा में सुधार तथा मूल्यांकन प्रणाली के पुनर्गठन पर विशेष बल दिया

गया है। इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, नवोन्मेषी एवं भविष्य–उन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी दस्तावेज के रूप में उभरकर सामने आती है।

NEP–2020 में वंचित वर्गों हेतु प्रमुख प्रावधान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 ने वंचित वर्गों की शैक्षिक समस्याओं को केंद्र में रखते हुए अनेक ठोस एवं दूरदर्शी प्रावधान प्रस्तुत किए हैं। नीति का उद्देश्य केवल नामांकन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि वंचित वर्गों को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं समान शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस संदर्भ में नीति के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं –

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 ने पहली बार Socially and Economically Disadvantaged Groups (SEDGs) की अवधारणा को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग विद्यार्थी, ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चे तथा अन्य हाशिए पर स्थित समूहों को सम्मिलित किया गया है। नीति SEDGs के लिए लक्षित योजनाएँ, छात्रवृत्तियाँ, वित्तीय सहायता, विशेष निगरानी तंत्र तथा शैक्षिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने जैसे उपायों पर बल देती है। यह प्रावधान वंचित वर्गों की पहचान को स्पष्ट कर उनके लिए विशेष रणनीतियाँ विकसित करने में सहायक है।

- NEP–2020 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्राप्त शिक्षा का प्रभाव बच्चे के संपूर्ण शैक्षिक जीवन पर पड़ता है। वंचित वर्गों के बच्चों के लिए प्रारंभिक वर्षों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता अत्यंत निर्णायक मानी गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नीति में आंगनवाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के विस्तार तथा पोषण एवं प्रारंभिक अधिगम के समन्वय पर विशेष बल दिया गया है। यह व्यवस्था वंचित बच्चों में सीखने की आधारशिला को मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

- वंचित वर्गों में विद्यालय छोड़ने की समस्या एक गंभीर चुनौती रही है। NEP–2020 ने इस समस्या के समाधान हेतु अनेक उपाय प्रस्तावित किए हैं, जिनमें विद्यार्थियों की नियमित ट्रैकिंग के लिए प्रभावी निगरानी प्रणाली, वैकल्पिक एवं ओपन स्कूलिंग के अवसर, तथा व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा का विद्यालयी शिक्षा में समावेश प्रमुख हैं। ये उपाय शिक्षा को अधिक लचीला, उपयोगी एवं रोजगारोन्मुख बनाकर वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखने में सहायक हो सकते हैं।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा में शिक्षण को प्रोत्साहित किया गया है। यह प्रावधान विशेष रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा संबंधी बाधाएँ उनकी समझ, अभिव्यक्ति एवं सहभागिता को प्रभावित करती हैं। मातृभाषा आधारित शिक्षा से बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता, आत्मविश्वास एवं अधिगम में रुचि बढ़ती है, जिससे शैक्षिक उपलब्धि में सुधार संभव होता है।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा को एक अनिवार्य लक्ष्य के रूप में स्वीकार करती है। इसके अंतर्गत बाधारहित भौतिक संरचना, सहायक प्रौद्योगिकियों का उपयोग, विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण–अधिगम व्यवस्था विकसित करने पर बल दिया गया है। यह प्रावधान दिव्यांग बच्चों को समान अवसर प्रदान करने एवं उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- डिजिटल युग में शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में डिजिटल समावेशन को विशेष महत्व दिया गया है। (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing, DIKSHA), (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds, SWAYAM) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने, दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक ऑनलाइन शिक्षा की पहुँच बढ़ाने तथा डिजिटल विभाजन को कम करने के प्रयास किए गए हैं। यद्यपि डिजिटल असमानता एक चुनौती बनी हुई है, फिर भी नीति के ये

प्रावधान वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में सकारात्मक कदम हैं।

वंचित वर्गों की शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 शिक्षा को केवल औपचारिक ज्ञानार्जन की प्रक्रिया तक सीमित न रखकर उसे सामाजिक सशक्तीकरण, समानता एवं समावेशन का प्रभावी माध्यम मानती है। नीति का मूल दृष्टिकोण यह है कि शिक्षा के माध्यम से वंचित वर्गों को न केवल शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाएँ, बल्कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से सशक्त भी बनाया जाए।

1. यह शिक्षा नीति वंचित वर्गों के लिए शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने पर बल देती है। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) की स्पष्ट पहचान कर उनके लिए लक्षित योजनाएँ, छात्रवृत्तियाँ, विशेष सहायता तंत्र तथा अनुकूल नीतिगत हस्तक्षेप प्रस्तावित किए गए हैं। इससे शिक्षा तक पहुँच में वृद्धि तथा असमानताओं को कम करने की संभावना बनती है।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 वंचित वर्गों को गुणवत्तापूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करने का प्रयास करती है। शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार, पाठ्यक्रम का सरलीकरण, मातृभाषा आधारित शिक्षा, तकनीक–समर्थित अधिगम तथा समावेशी शिक्षण रणनीतियों के माध्यम से नीति यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वंचित वर्गों के विद्यार्थी भी समान शैक्षिक गुणवत्ता का लाभ उठा सकें। इससे उनकी समझ, सहभागिता एवं शैक्षिक उपलब्धि में सुधार होने की संभावना है।

3. नीति शिक्षा को आजीविका एवं कौशल विकास से जोड़ने पर विशेष बल देती है। विद्यालयी स्तर से ही व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा का समावेश, लचीलापन एवं बहु–विषयक विकल्प वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यह दृष्टिकोण शिक्षा को केवल डिग्री–केंद्रित न रखकर उसे व्यावहारिक एवं जीवनोपयोगी बनाता है, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 वंचित वर्गों को सामाजिक सम्मान एवं आत्मनिर्भरता प्रदान करने की दिशा में कार्य करती है। जब वंचित वर्गों के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल एवं अवसर प्राप्त करते हैं, तो उनमें आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का विकास होता है। यह प्रक्रिया सामाजिक असमानताओं को कम करने तथा एक न्यायसंगत समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकती है।

चुनौतियाँ

यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एक दूरदर्शी एवं प्रगतिशील नीति के रूप में सामने आती है, तथापि इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक व्यावहारिक एवं संरचनात्मक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। विशेषकर वंचित वर्गों की शिक्षा के संदर्भ में इन चुनौतियों का समाधान किए बिना नीति के लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति संभव नहीं प्रतीत होती।

1. संसाधनों की कमी अनेक सरकारी विद्यालयों, विशेषकर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में, आधारभूत संरचना, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय एवं डिजिटल उपकरणों का अभाव पाया जाता है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण नीति में प्रस्तावित नवाचारों एवं सुधारों का क्रियान्वयन अपेक्षित गति से नहीं हो पाता।

2. प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षकों का अभाव भी एक गंभीर समस्या है। समावेशी शिक्षा, बहुभाषिक शिक्षण, डिजिटल शिक्षण तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ कार्य करने हेतु विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है किंतु अनेक विद्यालयों में शिक्षकों को इस प्रकार के आधुनिक एवं समावेशी शिक्षण दृष्टिकोण का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल पाता, जिससे नीति के उद्देश्यों की पूर्ति बाधित होती है।

3. डिजिटल असमानता राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में एक नई लेकिन गंभीर चुनौती के रूप में उभरकर सामने आई है। यद्यपि नीति डिजिटल शिक्षा एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को प्रोत्साहित करती है, परंतु वंचित वर्गों के अनेक बच्चों के पास इंटरनेट, स्मार्ट उपकरण एवं डिजिटल साक्षरता का अभाव है। परिणामस्वरूप डिजिटल शिक्षा का लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुँच पाता।

4. भारत की क्षेत्रीय एवं सामाजिक विविधता भी नीति के समान क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है। विभिन्न राज्यों, जिलों एवं समुदायों की सामाजिक–सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, भाषाई विविधता एवं शैक्षिक आवश्यकताएँ भिन्न–भिन्न हैं। ऐसे में एक समान नीति को सभी क्षेत्रों में समान प्रभावशीलता के साथ लागू करना एक जटिल कार्य है।

शैक्षिक निहितार्थ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन से वंचित वर्गों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार की व्यापक संभावनाएँ निहित हैं। नीति के विभिन्न प्रावधानों से शिक्षा व्यवस्था के लिए कई महत्वपूर्ण शैक्षिक निहितार्थ उभरकर सामने आते हैं, जिन्हें व्यवहारिक स्तर पर अपनाना आवश्यक है।

- शिक्षक प्रशिक्षण में समावेशी दृष्टिकोण को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले विद्यार्थियों, विशेषकर वंचित एवं दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझने तथा उनके अनुरूप शिक्षण रणनीतियाँ अपनाने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा, बहुभाषिक शिक्षण, तकनीक–समर्थित अधिगम तथा संवेदनशील मूल्यांकन पद्धतियों को शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।

- वंचित क्षेत्रों में विशेष निवेश की आवश्यकता है। ग्रामीण, दूरस्थ एवं सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालयी अवसंरचना, डिजिटल संसाधन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ एवं सहायक सेवाओं के विकास हेतु लक्षित वित्तीय निवेश किया जाना चाहिए। यह निवेश शिक्षा तक पहुँच एवं गुणवत्ता दोनों को सुदृढ़ करने में सहायक होगा।

- समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता वंचित वर्गों की शिक्षा में सुधार का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। विद्यालय, समुदाय एवं अभिभावकों के बीच सक्रिय सहयोग से बच्चों की नियमित उपस्थिति, सीखने में रुचि तथा विद्यालय से जुड़ाव को बढ़ाया

जा सकता है। सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा के महत्व को रेखांकित करना विशेष रूप से आवश्यक है।

- निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र का सुदृढ़ीकरण भी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनिवार्य है। योजनाओं एवं कार्यक्रमों की निरंतर समीक्षा, आँकड़ा–आधारित मूल्यांकन तथा पारदर्शी निगरानी व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि नीति के लाभ वास्तव में वंचित वर्गों तक पहुँच रहे हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 वंचित वर्गों की शिक्षा के संदर्भ में एक आशाजनक, दूरदर्शी एवं परिवर्तनकारी नीति के रूप में उभरकर सामने आती है। यह नीति शिक्षा को केवल ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया न मानकर उसे सामाजिक न्याय, समानता एवं सशक्तीकरण का सशक्त माध्यम स्थापित करती है। वंचित वर्गों की शैक्षिक समस्याओं को पहचानते हुए नीति ने पहुँच, गुणवत्ता, समावेशन एवं वहनीयता जैसे मूलभूत आयामों पर विशेष बल दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) की पहचान, प्रारंभिक शिक्षा पर बल, विद्यालय छोड़ने की दर में कमी, मातृभाषा आधारित शिक्षण, दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु समावेशी शिक्षा तथा डिजिटल समावेशन जैसे प्रावधान वंचित वर्गों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। इन प्रावधानों के माध्यम से नीति न केवल शैक्षिक अवसरों का विस्तार करती है, बल्कि वंचित वर्गों के सामाजिक सम्मान, आत्मनिर्भरता एवं आजीविका के अवसरों को भी सुदृढ़ करने का प्रयास करती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 नई दिल्लीः शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
- भारत सरकार, प्रेस सूचना ब्यूरो. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की प्रमुख विशेषताएँ. नई दिल्ली।

- NCERT- (2021). समावेशी शिक्षाः अवधारणा एवं व्यवहार. नई दिल्लीः राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।
- ASER Centre. (2023). *Annual Status of Education Report (Rural)*. New Delhi : Pratham Education Foundation.
- ASER Centre. (2024). *ASER Beyond Basics: Youth and Skills*. New Delhi.
- UNESCO. (2020). *Education for Sustainable Development*. Paris: UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report: Technology in Education*. Paris: UNESCO.
- OECD. (2023). *Digital Equity and Inclusion in Education*. Paris: OECD Publishing.
- Drèze, J., & Sen, A. (2013). *An Uncertain Glory: India and its Contradictions*. New Delhi: Penguin Books.
- Tilak, J. B. G. (2015). How inclusive is higher education in India? *Social Change*, 45(2), 185–223.
- Tilak, J. B. G., & Choudhury, S. (2019). Inequality in access to higher education in India. *Economic and Political Weekly*, 54(38).
- Nambissan, G. B. (2010). Exclusion and inclusion in Indian education. *International Journal of Educational Development*, 30(5), 433–443.
- Rangarajan, M. et al. (2025). Inclusion and equity in NEP–2020: A critical analysis. *Journal of Educational Policy Studies*, 12(1), 1–15.
- Sarangapani, P. M. (2020). Rethinking teacher education for equity and quality. *Indian Educational Review*, 58(1), 5–22.

1% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 1% Internet database
- 0% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	**ndpublisher.in** Internet	<1%
2	**socialsciencejournal.in** Internet	<1%
3	**IIMT University on 2025-08-10** Submitted works	<1%